

हाईकोर्ट का अहम फैसला

तीन माह में नए सिरे
से संशोधित परिणाम
जारी करने के आदेश

सितंबर 2020 में 4858 क्लकों की भर्ती का परिणाम रद्द

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन द्वारा सितंबर 2020 में जारी 4858 क्लकों की भर्ती का परिणाम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आयोग को तीन माह में संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अरुण मोंगा ने इस भर्ती के परिणाम के खिलाफ दायर दर्जनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है।

2019 में मांगे थे आवेदन

करनाल के अनिल कुमार व अन्य ने एडवोकेट रविंदर दुल के जारिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि 2019 में 4858 क्लकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके बाद लिखित परीक्षा ली गई और सितंबर 2020 में इसका परिणाम जारी कर दिया गया। इस परिणाम को कई आवेदकों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि परिणाम जारी करते हुए आयोग ने बड़े स्तर पर गलती की है, जिसके बलते कई योग्य आवेदकों का चयन नहीं हो पाया है।

प्रश्न पत्र के दो सेट थे

लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र के दो सेट थे। आयोग ने नकल रोकने के लिए दोनों सेट में उत्तरों के क्रम में बदलाव किया। सेट सी में प्रश्न संख्या 3, 47 व 66 में वही प्रश्न थे जो सेट ए में 24, 62 व 9 के थे। प्रथम प्रश्न के चार विकल्प ए, बी, सी और डी था। इन दोनों सेटों में उत्तर के विकल्प क्रम को बदल दिया था। यानी सेट सी में अगर प्रश्न का उत्तर सी था तो सेट ए में इसे डी कर दिया। जब परीक्षा के बाद आयोग ने परिणाम जारी किया तो दोनों के विकल्प सी को सही बताते हुए अंक दे दिए। इस तरह अंक दिए जाने में ठुर्ड गलती से कई आवेदक बाहर हो गए।